Title: Need to remove certain impediments which deprive the fishermen from Maharashtra from availing the subsidy on high speed diesel under the Central Government Development of Marine Fisheries Infrastructure and Post Harvest Operation.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत श्रुक्रिया कि आपने मुझे बोलने की परमीशन दी।

मैं महाराष्ट्र के लगभग 4.5 लाख मुखारों के पूष्त के ऊपर यहां पर खड़ा हूं। उनकी रोजी-रोटी और उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ यह विषय हैं। भारत सरकार की एक नीति के दिसाब से जो मुखारे मछली मारने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं, उनको हाई स्पीड डीजल के ऊपर एक पूकार की सिखरडी दी जाती है और यह सिबरडी देते समय एक ऐसी भर्त रखी गई हैं कि 500 लीटर से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा जो सबसे दोषपूर्ण आधार हैं, उसमें यह बताया गया हैं कि जो बी.पी.एल. के तहत रहने वाले मुखारे हैं, उन्हों को सिबरडी दी जायेगी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस क्राइटीरिया का क्या अर्थ हैं, क्योंकि बी.पी.एल. तो जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो क्राइटीरिया हमारे देश में हैं, उसमें जिनके घर में टेलीविज़न होता हैं, वे भी बी.पी.एल. नहीं हो सकते। जिन मुखआरों के पास अपनी बोट हैं, जो अपनी बोट चलाता हो और उसके जिरचे मछली मारता हो, वह बी.पी.एल. में कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए पिछले 2-3 वर्षों से जो स्कीम लागू हैं, उसके हिसाब से देखा जाये तो पूरे देश में सिर्फ तीन करोड़ रुपये खर्च हुए। एक पर्टिकुलर साल की बात हैं, राशिधन लाने की अवश्यकता हैं। एक सर्व-सामान्य गरीब जो हमारा मुखआरा समाज हैं, उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं, विशेषकर हमारे कृषि मंत्री शरद पवार जी से, जो स्वयं महाराष्ट्र के हैं, तेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र के मछुआरों का सवात है, जैं उनसे मांग करता हूं कि यह जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संशोधन ताकर, सर्व-सामान्य जो गरीब मछुआरे हैं, उनके तिए बोट के इस्तेमाल पर जो डीजल की आपूर्ति होती है, उसके ऊपर पर्याप्त सब्सिडी देने की व्यवस्था की जाये।

MADAM SPEAKER: Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi is also associating.